

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी M/S Comfur Systems, K-23, Ashiana Colony, Lucknow.
प्रार्थना पत्र संख्या व 021 / 12, 13.03.2012
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/S Comfur Systems, K-23, Ashiana Colony, Lucknow. द्वारा दिनांक 13.03.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा ' PVC Edge bands एवं Wood working Machines ' पर, कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 12.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-53, दिनांक 09.04.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तुओं PVC Edge bands एवं Wood working Machines की प्रविष्टि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 में कर की दर वार दिये गये शेड्यूल-I से IV में अंकित न होने के कारण इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भाँति 12.5% की दर से करदेयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या से सहमति व्यक्त की गई है तथा कहा गया है कि उक्त दोनों वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण PVC Edge bands एवं Wood working Machines पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 17 फरवरी, 2014

ह0 / 17.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।